रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 629] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 1971/पौष 1, 1893

No. 629] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 1971/PAUSA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

(Civil Supplies Organisation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December 1971

S.O. 5540.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares 'Crude Oil' (a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List III in the Seventh Schedule to the Constitution) to be an essential commodity for the purposes of the said Act.

Explanation.—In this notification, "crude oil" means all natural liquid products, consisting mainly of hydrocarbons, which have undergone no treatment other than settling (decantation), dehydration, desalting, or stabilisation, to which no products have been added other than those previously recovered by physical methods in the course of these treatments.

[No. 26(12)CS-II/71.]

K. BALACHANDRAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(आन्तरिक व्यापार विभाग)

(सिविल प्रदाय संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5540.—आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 'कच्चे तेल' को (ऐसी वस्तु जिसके बारे में संसद् को संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के आधार पर विधियां बनाने की शक्ति है) उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तु के रूप में एतद्द्वारा घोषित करती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में 'कच्चा तेल' से सभी प्राकृतिक द्रव पदार्थ जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन है, जिन पर निधारण (निस्तारण), निर्जलीकरण, निःक्षारीकरण या स्थिरीकरण से भिन्न कोई अभिक्रिया नहीं की गई है और इन अभिक्रियाओं के अनुक्रम में भौतिक पद्धतियों द्वारा पूर्व पुनःप्राप्त से भिन्न कोई पदार्थ नहीं मिलाए गए हैं ।

[सं० 26(12)सी–एस–II/71]

के० बाल चन्द्रन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971